'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.10.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 22 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 31 अक्टूबर, 2018

परिसंघ आजमगढ़ का मण्डलीय सम्मेलन संपन

31अक्टूबर,2018 को अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ जनपद–आजमगढ़ का मण्डलीय सम्मेलन राहुल प्रेक्षगृह सिधारी आजमगड़ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिसंघ के संयोजक डॉ.लच्छन सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मा. डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष परिसंघ तथा विशेष अतिथि के रूप में तेजा राम सदस्य अनुसूचित जाति आयोग उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि डॉ. उदित राज द्वारा दीप प्रज्वलन एवं तथागत बुद्ध एवं डॉ. अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यर्पण करके हुआ। डॉ. उदित राज जी ने संबोधित करते हुए कहा की हमें अपने समाज पर विश्वास करना चाहिए व अपने अधिकार के लिए मुख्य मांगे ''एस.सी./एस.टी./ ओबीसी का आरक्षण, उच्च न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कराने और अत्याचार पर रोक'' के लिए है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति/ जन जाति अत्याचार निवारण कानून को कमजोर किए जाने पर 2 अप्रैल, 2018 को दलित संगठनों द्वारा भारत बंद किया गया था। जिसके उपरांत संसद में अनुसूचित जाति/ जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम पुनः बहाल हुआ। उसी तरह से इस रैली में आप भारी संख्या में उपस्थित होकर इस रैली को सफल बनाए।

परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज जी ने समाज से सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअप का इस्तेमाल करने को कहा क्योंकि इसी के माध्यम से 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था।

***

तेजाराम सदस्य अनुसूचित जाति आयोग ने कहा कि हमें बाबा साहेब के संघर्षो से सबक लेना चाहिए व उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। इसके अलवा श्री नन्हकु सरोज, मंजु सरोज, ओम प्रकाश राम ने अपने–अपने विचार व्यक्त किए।

– डॉ. लच्छन सिंह

परिसंघ की रैली

3 दिसंबर, 2018
रामलीला मैदान, नई दिल्ली

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की महारैली आगामी 3 दिसंबर, 2018 (सोमवार) को प्रातः 10 बजे से रामलीला मैदान, (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास), नई दिल्ली में आरक्षण सहित अन्य अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारों के मुद्दों पर होना सुनिश्चित हुई है। लगातार दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार/ भेदभाव व उत्पीड़न की घटनाओं के बावजूद भी यदि हम शांत बैठे रहे तो हमारे अधिकार कोई नहीं बचा सकता। इन घटनाओं के पीछे एक बड़ा मकसद हमारी सहनशीलता का परीक्षण भी है। परिसंघ के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि इस रैली की सफलता के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। शीघ्र ही इससे संबंधित प्रचार सामाग्री एवं आवश्यक दिशानिर्देश ''वॉयस ऑफ बुद्धा'' सहित अन्य माध्यमों से आप लोगों तक पहुंचती रेहगी। रेल से यात्रा करने वाले साथी अभी से ही आरक्षण (टिकट) इत्यादि करवा लें। प्रदेश पदाधिकारियों से आग्रह है कि जिन प्रदेशों में अभी तक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन नहीं हुए हैं, शीघ्र ही करलें। जहां पर मुझे आने की जरूरत समझें, मैं स्वयं आ सकता हूं।

रैली से संबंधित खबरों से अपडेट रहने के लिए परिसंघ के फेसबुक www.facebook/aiparisangh पेज को लाइक करे, टिवट्र @aiparisangh को फॉलो करें और युट्यूब aiparisangh को भी देखें और परिसंघ की वेबसाइट www.aiparisangh.com को देखें। किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय कार्यालय में **सुमित मो. 9868978306** से सम्पर्क करें।

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन

डॉ. उदित राज के नेतृत्व में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के आंदोलन की उपलब्धियां और संक्षिप्त परिचय

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना 1997 में डॉ. उदित राज (राम राज) के नेतृत्व में की गयी। तभी से दलितों व आदिवासियों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत् है। सामाजिक आंदोलनों की अपनी सीमाएं होती हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए डॉ0 उदित राज जी ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। पहले अपनी राजनैतिक पार्टी बनाई लेकिन संसाधनों की कमी और समाज से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण सफलता नहीं मिली तो 2014 के लोक सभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर डॉ0 उदित राज लोक सभा में पहुंचे। वहां पर जब भी अवसर मिला उन्होंने दलितों, आदिवासियों एवं गरीबों से संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने लोक सभा में पदोन्नति में आरक्षण, एक राज्य से बने जाति प्रमाण-पत्रों की सभी राज्यों में मान्यता, एस.सी.पी., टी.एस.पी., जामिया मिलिया इस्लामिया (अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय) में आरक्षण की अवहेलना, लघु एवं मध्यम उद्योगों में दलितों की भागीदारी, अजा/जजा को मिलने वाली छात्रवृत्ति का मुद्दा, आई.आई.टी.व एन. आई.टी. जैसे संस्थानों में आरक्षण की अहेलना व दलित छात्रों के साथ भेदभाव, एअरइंडिया में पॉयलटों की भर्ती में भेदभाव भीम आर्मी के नेता चन्द्रशेखर रावण की रिहाई आदि से संबंधित मुद्दे उठा चुके हैं।

उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश किया है। इसके अलावा अजा/जजा के छात्रों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा, युवकों को अनिवार्य रूप से रोजगार मुहैया कराने आदि से संबंधित बिल भी लोक सभा में पेश किया है।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में चलाए जा रहे आंदोलन की उपलब्धियां एवं संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है।

जब 1997 में क्रमशः पांच आरक्षण विरोधी आदेश 30 जनवरी, 2 जुलाई, 22 जुलाई, 13 अगस्त एवं 29 अगस्त को जारी हुए तब इन्हें वापिस कराने के लिए अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना हुई। इसके बैनर तले पहली रैली 26 नवम्बर, 1997 को, दूसरी रैली 16 नवंबर, 1998 को, तीसरी 13 दिसम्बर, 1999 को एवं चौथी 11 दिसम्बर, 2000 को दिल्ली में हुई। इस रैली से पूरे देश में आंदोलन की लहर पैदा हुई और सरकार भी झुकी।

परिसंघ के इस प्रभावी आंदोलन के कारण आरक्षण विरोधी आदेश वापिस हो गए। इस तरह से सरकारी सेवाओं में आरक्षण के नुकसान को तो बचा लिया गया लेकिन दूसरी तरफ निजीकरण एवं उदारीकरण के कारण यह समाप्त होने लगा। सन् 2000 के आसपास केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों में लगभग 40 लाख दलित एवं आदिवासी कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत् थे लेकिन अब वह संख्या घटकर लगभग आधी हो गयी होगी। अब निजी क्षेत्र में बिना आरक्षण के समाज की भागीदारी बरकरार नहीं रह सकेगी। जितना उत्थान सरकारी नौकरी में आरक्षण से हुआ, उतना किसी और योजना से नहीं। लोक सभा में आरक्षण के जरिए 122 सांसद बनते हैं अर्थात् 122 परिवार का उत्थान। देश में 28 राज्य हैं, जिनमें कुल 4109 विधायक चुनकर आते हैं। कोटे के अनुपात में लगभग 900 विधायक बनेगें अर्थात् इतने ही परिवारों का भला। वर्तमान में लगभग 27 लाख कर्मचारी-अधिकारी सरकारी सेवा में हैं, अतः इतने परिवारों को मान-सम्मान एवं आर्थिक तरक्की। अब ज्यादातर नौकरियां निजी क्षेत्र में सृजित हो रही हैं, इसलिए इस नए संघर्ष का नाम दूसरी आजादी की लड़ाई देना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। दलित-आदिवासी जब निजी क्षेत्र में नौकरी के माध्यम से घुसेगें तो उन्हें व्यापार करने का तरीका भी मालूम होगा। यह सच्चाई है कि जो व्यापार करेगा वही राज करेगा। हमारा इतिहास इतना संघर्षशील एवं परिणाम दायक है कि शायद दूसरा कोई आंदोलन मुकाबले में है ही नहीं।

81वें संवैधानिक संशोधन के कारण संविधान में नई धारा 16 (4बी) जुड़ी जिससे रिक्त स्थानों (बैकलॉग पोस्ट) पर फिर से भर्ती शुरू हुई। इस 29 अगस्त 1997 के आदेश के अनुसार बैकलॉग पदों पर भर्ती इसलिए नहीं की जा सकती थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण द्वारा भर्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। इससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचा और बेरोजगारों को भी नौकरियां मिलीं। यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह लड़ाई केवल दलित कर्मचारियों के लिए ही थी। 82वें संवैधानिक संशोधन के कारण संविधान की धारा 335 में आवश्यक परिवर्तन किया गया, जिससे 22 जुलाई 1997 का आरक्षण विरोधी आदेश वापिस हुआ। इस आदेश के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में मूल्यांकन में जो छूट मिलती थी, वापिस हो गयी थी। उदाहरणार्थ इसके पहले आयकर विभाग में दलित निरीक्षक आयकर अधिकारी परीक्षा आसानी से पास करते थे और उच्च पद पर प्रमोशन के लिए सामान्य वर्ग से अधिक कतार में लग जाया करते थे। जब तक यह आदेश निरस्त नहीं हुआ, विभागों में खोजना पड़ता था कि कितने दलित कर्मी पदोन्नति के लिए परीक्षा पास कर चुके हैं। 85वां संवैधानिक संशोधन इसलिए किया गया कि 30 जनवरी 1997 के आरक्षण विरोधी आदेश ने दलित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वरिष्ठता के लाभ से वंचित कर दिया और उससे जुड़े अन्य फायदों को भी। हजारों की संख्या में रेल विभाग में कर्मचारियों की पदावनति होने लगी। हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी हाहाकार मच गया। जहां मनुवादी नौकरशाही हावी है और दलित आंदोलन कमजोर है, वहां को छोड़कर शेष स्थानों पर वरिष्ठता का लाभ पुनः मिलना शुरू हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पदोन्नति में आरक्षण की बाधाएं हट गयी है। इसके अतिरिक्त हमारे ही आंदोलन के प्रयास से महाराष्ट्र और जम्मू एवं कश्मीर में आरक्षण कानून बना।

दो आरक्षण विरोधी आदेश अभी भी वापिस होने हैं। 2 जुलाई 1997 में पद पर आधारित नए रोस्टर प्रणाली को लागू किया गया। इसके अनुसार यह कहा गया कि दलित कर्मियों की उसी स्थान पर नियुक्ति या प्रमोशन होगा, जो आरक्षित बिन्दु (रोस्टर प्वाइंट) इनके हैं। पुराना रोस्टर 40 प्वाइंट का था, जिसमें प्रथम बिन्दु पर दलित और चौथे बिन्दु पर आदिवासी की भर्ती की जाती थी। इसे हटाकर नए रोस्टर में सातवें और 14वें बिन्दु पर दलितों की भर्ती की जाएगी, इस तरह से यदि किसी विभाग में पांच या छः पद हैं, तो उसमें एक भी दलित की भर्ती नहीं होगी, अगर 13 भर्तियां हैं, तो मात्र एक दलित की भर्ती हो पाएगी।

16 नवम्बर 1992 को मंडल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण दलितों को नहीं मिलना चाहिए। इस विसंगति को दूर करने के लिए 77वां संवैधानिक संशोधन जून 1995 में किया गया। संशोधन की भाषा स्पष्ट रूप से कहती है कि पदोन्नति में आरक्षण प्रत्येक पद और स्तर पर दिया जाना चाहिए। 13 अगस्त 1997 को जब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया, तो उसमें कहा गया कि वर्तमान जैसा ही पदोन्नति में आरक्षण जारी रहेगा। अतः पदोन्नति में आरक्षण निचले स्तर तक ही मिलेगा, जैसा पहले था। संशोधन को यदि सही रूप से लागू किया जाए तो वरिष्ठ अधिकारी जैसे आई.ए.एस, आई.पी.एस., आई.आर.एस., डॉक्टर, इंजीनियर आदि जल्दी पदोन्नति पाते हुए अपने-अपने विभागों में टॉप पदों पर पहुंच जाएंगें, जैसे विभागाध्यक्ष, सचिव भारत सरकार, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन या सदस्य आदि।

इन संवैधानिक संशोधनों के विरूद्ध परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी सामान्य वर्ग के संगठनों एवं नेताओं को उकसाया, ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में तीनों संशोधनों के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकें। मुझे उस समय आश्चर्य हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, तो देखा कि सामान्य वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ओर से सैकड़ों याचिकाएं दाखिल की गईं थी और बड़े-बड़े वकील उनकी ओर से पैरवी कर रहे थे। दूसरी तरफ केवल हम ही पैरवी करने वाले थे, तो अफसोस हुआ कि दलित कर्मचारी कितने स्वार्थी हैं। चेतन और अचेतन अवस्था में ये सोचते हैं कि कोई न कोई इनके लिए संघर्ष कर ही रहा है, तो उन्हें आगे आने की क्या जरूरत है? इस तरह से लगभग सभी सोचने लगते हैं, परिणाम यह होता है कि कोई आगे नहीं आ पाता। दूसरा, इनमें गलतफहमी और अहंकार इतना है कि विभाग में अम्बेडकर जयंती मनाने या अन्य छोटे-मोटे कार्य करने से ही ये मान लेते हैं कि बड़ा काम कर दिया।

4 नवंबर, 2001 को परिसंघ के ही बैनर तले लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इरादा यह था कि दस लाख लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर एक महान सांस्कृतिक परिवर्तन का उद्घोष करेगें। उस समय की सरकार ने न केवल रामलीला मैदान की अनुमति को रद्द किया बल्कि पुलिस बल का प्रयोग करके दीक्षा में भाग लेने वालों को डराया-धमकाया। मान-सम्मान की लड़ाई कहने से ही पूरी नहीं होगी जब तक कि सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा लोगों के विचार न बदले जाएं। वैचारिक परिवर्तन का बड़ा काम हमारे द्वारा ही हुआ और जिन्होंने मान-सम्मान के संघर्ष के लिए नारा दिया और लाखों कर्मचारियों-अधिकारियों का तन, मन और धन से समर्थन हासिल किया, उन्होंने बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ नहीं किया। लोग तो विचारों से गुलाम होते हैं। गुलाम मानसिकता बिना विचार बदले नहीं मिटायी जा सकती।

झज्जर का मामला हो या अन्य उत्पीड़न के मामले उस पर हम ही लड़ते हैं। क्या किसी ने कभी सुप्रीम कोर्ट को घेरा है? इस साहसिक कार्य को हमने ही 10 अगस्त, 1998 को किया। हमारी आलोचना होती थी कि हमने राजनैतिक पार्टी बना ली। अगर बनाया था तो परिसंघ के मुद्दों के समर्थन के लिए ही। कुछ बात राजनैतिक दल से संभव है तो कुछ सामाजिक मंच से। राजनैतिक दल चलाने के लिए जो दांव-पेंच जैसे जात-पांत, काले धन का प्रयोग इत्यादि मुझे न आया। इसलिए इंडियन जस्टिस पार्टी को खत्म करना पड़ा। दूसरी तरफ तथाकथित अम्बेडकरवादियों के द्वारा इतना दुष्प्रचार हुआ कि पार्टी को आवश्यक समर्थन नहीं मिल सका। संसद से आरक्षण जैसे मुद्दे उठते नहीं दिखे तो फरवरी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हुआ ताकि संसद पहुंच सकें। अंत में संसद में पहुंच ही गया और दो साल में जितने प्रमुख मुद्दे आरक्षण और दलित उत्पीड़न पर मैंने उठाए उतने शायद सभी दलित सांसद मिलकर नहीं उठाए होगें। जिसका शक हो वह मेरे कार्यालय या संसद की बेबसाइट से जानकारी कर सकता है।

सन 2011 में अन्ना हजारे ने जब लोक पाल बनाने का आंदोलन छेड़ा तो सारा देश दबाव में आ गया था और अकेला परिसंघ ही था कि उसने चुनौती दी कि क्या लोकपाल में दलित-पिछड़े और अल्पसंख्यक भी स्थान पाएगें? उस समय की मांग के अनुसार संसद की कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और सीबीआई तक सभी लोकपाल के अन्दर आने की बात थी। हमने लोकपाल बिल में आरक्षण की बात उठाई तो अन्ना हजारे और

शेष पृष्ठ 3 पर

पृष्ठ शेष 2 का

डॉ. उदित राज के नेतृत्व में अनुसूचित जाति.....

अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाने में रूचि ही समाप्त कर दी। मान लिया जाए कि परिसंघ द्वारा अगर अवाज नहीं उठाई गई होती तो लोकपाल बन गया होता। तो संविधान के ऊपर लोकपाल बैठ जाता और इस देश में महिलाओं, दलितों एवं पिछड़ो की हालत खराब हो जाती। हमने बहुजन लोकपाल बिल बनाकर आरक्षण की मांग की और यह मांग पूरी भी हुई।

दलितों में स्वार्थवश जातिवाद उपजातिवाद बढ़ा है, जिससे हमारी शक्ति विखंडित हुई है। आरक्षण, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी और विनिवेश के द्वारा खत्म किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल प्रतिस्थापित कर चुका हूं। निजी बिल का मतलब कि किसी पार्टी विशेष का नहीं बल्कि यह दलित-आदिवासी समाज का है। इनके समर्थन के बिना किसी पार्टी पर दबाव बनने वाला नहीं है कि वह अपनी ओर से संसद में प्रस्ताव लाकर निजी क्षेत्र में आरक्षण दे। इसके लिए लाखों-करोड़ों दलितों को करो या मरो की भावना पैदा करना पड़ेगा। मेरा जो कार्य था वह तो मैंने कर दिया अब देखना है कि समाज निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कितना समर्थन देता है। निजी क्षेत्र में यदि आरक्षण नहीं मिलता, तो समझो जो भी तरक्की और प्रतिष्ठा अब तक मिली वह भी लुट जाएगी। राजनीति एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से ही दलितों ने सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। जहां आरक्षण नहीं है जैसे - मीडिया, उद्योग, कला एवं संस्कृति, उच्च शिक्षा, उच्च न्यायपालिका, आयात-निर्यात, हाई-टेक आदि में आज भी दलितों ने कोई तरक्की नहीं की। अमेरिका में निजी क्षेत्र में आरक्षण अश्वेतों एवं मूलनिवासियों को मिल रहा है। वहां पर सरकार ने इनसे वस्तुएं एवं उत्पाद खरीदकर इन्हें उद्योगपति एवं व्यवसायी बना दिया है। इस अधिकार को लेने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगीं। सत्ता में व्यक्ति आता और जाता रहता है, जो अस्थायी है। निजीकरण और भूमण्डलीकरण की वजह से शिक्षा, नौकरी और धन-दौलत सब निजी हाथों में चला गया। हजारों अरबपति पैदा हो गए हैं। हर रोज अरबपति एवं खरबपति पैदा हो रहे हैं और उन्होंने अपने कालेधन की ताक़त से राजनीति को भी नियंत्रित कर लिया है। बड़े-बड़े माल, मंहगी गाड़ियां एवं मकान और लाखों हजार करोड़ का व्यापार आदि सभी के मालिक तथाकथित सवर्ण हो गए हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को देखते हैं तो लगता ही नहीं कि दलितों एवं पिछड़ों की भागीदारी थोड़ी भी हो। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे यह हमारा देश ही न हो। क्योंकि आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक सत्ता पर इन्हीं का पूरा कब्जा हो गया है। अब से कुछ साल पहले स्थिति कम से कम कुछ बेहतर थी, जब जमींदार और उसके खेत पर काम करने वाले मजदूर के बच्चे एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। निजीकरण से सुविधाओं एवं अधिकारों में बड़ा फासला हो गया है।

जब देश का राष्ट्रपति दलित नहीं था तब चर्चा होती थी कि एक बार दलित राष्ट्रपति हो जाए तो संभव है कि कुछ परिवर्तन हो। ऐसी ही बात मुख्य न्यायाधीश के बारे में कही जाती थी। अंत में दलित मुख्य न्यायाधीश हुए भी तो भी खास परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री, सुश्री मायावती चार बार बन चुकी हैं तो क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण मिल सका? यदि कोई दलित प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा स्थायी अधिकार प्राप्त ही हो जाए। हो सकता है, अन्यों से भी कम काम कर सकें, क्योंकि सत्ता में बने रहने की तमाम मजबूरियां होती हैं। जब इसके लिए देश भर में आंदोलन खड़ा करेगें तो हर पार्टियां वोट की लालच में झुकेंगीं और एक दिन यह अधिकार मिलकर रहेगा। मान-सम्मान और राजसत्ता प्राप्ति के नारे ने खूब आकर्षण पैदा किया और बड़े सपने दिखाए। लोगों ने खूब कुर्बानियां दीं। हो सकता है कि हमारा नारा बड़ा सपना दिखाने वाला न हो लेकिन हमारी लड़ाई राजनैतिक सत्ता हासिल करने से कम की नहीं है। सहारा कंपनी में लगभग 9 लाख कर्मचारी हैं यदि यहां निजी क्षेत्र में आरक्षण होता है तो लाखों दलित-आदिवासी परिवारों को रोजगार मिलेगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम कितने बड़े उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

डॉ0 अम्बेडकर 26, अलीपुर रोड, दिल्ली में रहे। यहीं पर रहते हुए 'बुद्ध और उनका धर्म' ग्रंथ की रचना की व तमाम संघर्ष किया और यहीं पर उनका 6 दिसंबर, 1956 को परिनिर्वाण हुआ। बड़ी जद्दोजहद के बाद 2003 में भारत सरकार ने इसे खरीदा और राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, लेकिन वहां न कोई सेमिनार होता है और न ही अन्य तरह की गतिविधियां। डॉ. अम्बेडकर परिनिर्वाणभूमि सम्मान कार्यक्रम समिति बनाकर इसे गांधी समाधि के बराबर का दर्जा देने के लिए आंदोलन चलाया गया और सफलता मिली। गत् 14 अप्रैल को इस स्थल पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी स्वयं आए और उन्होंने घोषणा की 95 करोड़ रूपये की लागत से इसका सौदर्यकरण किया जाएगा। अभी भी हमारी मांग है कि राजघाट की तर्ज पर ऐक्ट बनाकर इसका सुंदरीकरण किया जाए और इसके विस्तार के लिए आस-पास की भूमि को अधिगृहीत की जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हमारा संघर्ष न्यायपालिका में आरक्षण, सफाई कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति, आरक्षण कानून बनवाकर 9वीं सूची में रखवाना, समान एवं अनिवार्य शिक्षा, समता मूलक समाज की स्थापना एवं राज्य सरकार की सेवाओं में 1950 के बाद आए दलितों को आरक्षण का लाभ दिलवाना आदि, जारी रहेगा।

कहने और बोलने में कुछ लगता नहीं, लेकिन उपरोक्त अधिकारों को लेने के लिए कड़े संघर्ष करने पड़ेगें। संगठन की शाखाएं ब्लॉकों और गांवों तक बनानी होगीं। सदस्यता अभियान युद्धस्तर पर चलाना पड़ेगा। सवर्णों से कुछ तो सीखना चाहिए। अविवाहित और उच्च शिक्षा प्राप्त सैकड़ों लोग संघ के प्रचार में लगे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी - अधिकारी संघ परिवार के तमाम संगठनों को संभाल रहे हैं। नाम व प्रसिद्धि के लिए कभी कोई टकराव सुनने में नहीं आता।

हमारे तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकारी अहंकार या तुच्छ सोच के कारण न समाज से लाभ ले पाते हैं और न ही दे पाते हैं। शोषित समाज को तो और भी समर्पित होना चाहिए। जगह-जगह पर प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं और ऐसे मिश्नरी तैयार किए जाएं, जो समाज को बदलकर रख दें। आशावान होते हुए उम्मीद की जा रही है कि परिसंघ को सैकड़ों एवं हजारों मिश्नरी एवं समर्पित नेता व कार्यकर्त्ता मिलेगें, जिससे एक नया समाज तैयार होगा। अब सोसल मीडिया का समय आ गया है और वैचारिक लड़ाई लड़ना आसान भी हो गया है। अख़बार एवं चैनल हमारी खबरें तो दिखाती ही नहीं, लेकिन सोसल मीडिया के आने से एक अच्छा अवसर मिल गया है। ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल से लाखों करोड़ों को जोड़ा जा सकता है। हमने तय किया है कि वर्ष 2017 और 2018 में हम गांव-गांव तक अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का संदेश पहुंचाएं। सोसल मीडिया को न केवल मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करें बल्कि समाज परिवर्तन में भी।

जो अम्बेडकरवादी हैं, वे सामान्यतया भगवान बुद्ध को ही मानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो कसौटी पर न खरी उतरे, उसे मत मानना उन्होंने यहां तक कहा था कि उनकी भी बात जब तक कसौटी पर खरी न उतरे न मानी जाए। ये उन साथियों के लिए हैं, जो अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के साथियों के बलिदान को बिना जाने आलोचना करते रहते हैं। इस समय डॉ. उदित राज की बड़ी आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि वे भाजपा में चले गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में जाकर चापलूसी कर रहे हैं? या स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं? बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर पूरे जीवन कांग्रेस को कोसते रहे। भारत-पाक बंटवारे के उपरांत जब उनकी संविधान सभा की सदस्यता समाप्त हुई तो कांग्रेस ने अपने महाराष्ट्र के मंत्री पीपुल जैकर का इस्तीफा दिलवाकर वहां से बाबा साहेब को चुनवाकर संविधान सभा में भेजा। उसके बाद बाबा साहेब को न केवल कानून मंत्री बनने का अवसर मिला बल्कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भी बने। कांग्रेस में जाकर उन्होंने समाज के लिए किया तो डॉ0 उदित राज भारतीय जनता पार्टी में जाकर समाज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे गलत हैं? दो साल के उनके द्वारा संसद में उठाए गए मुद्दे एवं कार्यों को देखने के बाद अगर व्यक्ति बेईमान और पूर्वाग्रहित नहीं है तो निश्चित तौर से सराहना किए बिना नहीं रह पाएगा।

राज्य स्तर पर सदस्यता फार्म छापे गए हैं, जिसे प्रदेश के नेताओं से प्राप्त किया जा सकता है, यदि असुविधा हो तो केन्द्रीय कार्यालय से मंगवाया जा सकता है। सदस्यता शुल्क एक वर्ष के लिए 100/- रूपये और आजीवन 1000/- रूपये रखी गयी है। सदस्यता शुल्क एवं चंदा सीधे परिसंघ के घाते में जमा किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नवत् है -

Name of Beneficiary : **All India Confederation of SC/ST Organisations**
Name of Bank :
State Bank of India
Saving Bank Ac No.: 30899921752
Branch Name : Chanderlok Building,1st Floor, Janpath, New Delhi
IFSC Code : SBIN0001639

बिना विचारधारा एवं सूचना के आंदोलन चलाना मुश्किल है। वॉयस ऑफ बुद्धा का संपादन इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। 'वॉयस ऑफ बुद्धा' की वार्षिक सदस्यता 150 रूपये एवं पांच वर्ष के लिए 600 रूपये है। सदस्यता शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या **0636000102165381** (पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जनपथ, नई दिल्ली- 110001) **IFSC Code : PUNB0013100** में सीधे जमा कर सकते हैं या बैंक ड्राफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम भेजें। इसकी सूचना या तो ईमेल द्वारा दें या दूरभाष पर। कृपया सदस्यता शुल्क मनीआर्डर के माध्यम से न भेजें।

***

यूपीः ऊंची जाति वाले करा रहे रामायण पाठ, गांव में 10 दिन दलितों के घर से निकलने पर प्रतिबंध

देश के कई हिस्सों में दलितों के मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंध को हटा दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध का एक मामला सामने आया है। कथित तौर पर राज्य के हमीरपुर जिले के गदहा गांव में दलितों को 10 दिनों तक घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वजह ये बताई जा रही है कि गांव के मंदिर में ऊंची जाति के लोगों द्वारा अखंड रामायण पाठ करवाया जा रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, दलितों ने जब पूजा में शामिल होने की कोशिश की तो उन्हें न सिर्फ धक्का देकर निकाल दिया गया, बल्कि पुजारी ने राम जानकी मंदिर के बाहर एक 'नोटिस' चिपका कर उनके प्रवेश पर रोक लगा दिया। कहा गया कि दलित 'शुद्ध' नहीं हैं, इसलिए वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 10 दिनों तक अखंड रामायण पाठ के दौरान उन्हें अपने घरों से भी नहीं निकलना है।

जिला प्रशासन द्वारा दवाब के बाद नोटिस को हटा दिया गया है, लेकिन मंदिर में दलितों के प्रवेश पर अभी भी रोक लगी हुई है। ऊंची जाति के लोग लाठी और डंडे लेकर मंदिर परिसर की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि कोई भी दलित पूजा में शामिल नहीं हो पाए। इस घटना के बाद तनाव पैदा हो गया है। जिला प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। मंदिर के पुजारी कुंवर बहादुर सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने हस्ताक्षार से दलितों के मंदिर में प्रवेश न करने का नोटिस लगाया था। वह कहते हैं कि ऐसा करना मजबूरी थी क्योंकि वे अक्सर 'पी' कर मंदिर आते हैं। वे कहते हैं,''एक तख्ती पर हमने यह लिखा कि जो कर्म से शुद्ध नहीं हैं और मांस व मदिरा का सेवन करते हैं, वे मंदिर नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहां रामायण पाठ चालू है।'' सिंह कहते हैं कि जिस जमीन पर मंदिर बनी है, वह उनकी पैतृक संपत्ति है। वह सिर्फ परंपरा का पालन कर रहे हैं।

गांव में रहने वाले दलित कहते हैं कि रामायण पाठ सिर्फ एक बहाना है। वे अन्य दिनों में भी हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। वे हमें मंदिर के बाहर से ही पूजा करने को मजबूर करते हैं। राजू साहू नाम के दलित कहते हैं, ''जब मैंने चल रहे पूजा में शामिल होने की कोशिश की तो मेरी पिटाई की गई। धक्का देकर निकाल दिया गया।'' एक अन्य दलित 'नीलम' कहती हैं, ''गांव में ऊंची जाति के द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में हमें शामिल नहीं होने दिया जाता है।'' वहीं, उप-जिला कलेक्टर सुरेश कुमार मिश्रा कहते हैं, इस मामले में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके उपर कार्रवाई की जाएगी। हमने पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम भेजी है। किसी को भी मंदिर में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। यह एक अपराध है।

-https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/kanpur/ramayana-at-shrine-priest-tells-dalits-to-stay-at-home/articleshow/60184880.cms

***

आगामी रैली से संबधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश व जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

दिल्ली चलो! दिल्ली चलो!! दिल्ली चलो!!!

"अब न सहेगें अत्याचार – लेकर रहेगें सब अधिकार"

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

के तत्वावधान में

SC/ST/OBC का आरक्षण बचाने, उच्च न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कराने और अत्याचार पर रोक के लिए

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

रैली

3 दिसंबर, 2018

(सोमवार) सुबह 10 बजे

रामलीला मैदान, नई दिल्ली

भारी संख्या में भाग लेकर रैली को सफल बनाएं

AIParisangh AIParisangh 9899766443

parisangh1997@gmail.com All India Parisangh www.aiparisangh.com

पत्राचार : टी-22 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23354841/42, मो. 9868978306, टेलीफैक्स : 011-23354843

प्रमुख उपलब्धियां

1. तीन संवैधानिक संशोधन कराकर आरक्षण बचाया
2. लोकपाल में आरक्षण कराया
3. 4 नवंबर 2001 को लाखों लोग बौद्ध बने
4. पदोन्नति में आरक्षण बहाल कराया
5. संसद में सबसे अधिक दलित मुद्दे उठाए
6. पिछड़ों को उच्च शिक्षा में आरक्षण का समर्थन
7. 2 अप्रैल भारत बंद में लोगों पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा गया जिसके लिए परिसंघ ने जिले के दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से बात करके हजारों लोगों को जेल से रिहा करवाया।
8. भीम आर्मी के चीफ चन्द्र शेखर की रिहाई में सबसे बड़ा योगदान

प्रमुख मुद्दे

1. दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का आरक्षण सुरक्षित हो
2. निजी क्षेत्र एवं उच्च न्यायपालिका में आरक्षण लागू हो
2. आरक्षण कानून बनाओ
4. सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो
5. बैकलॉग पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान
6. देश में समान शिक्षा नीति लागू हो एवं भूमिहीनों को भूमि
7. अनुसूचित जाति योजना एवं जन जाति उप योजना कानून बनाओ
8. एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र सभी राज्यों में मान्य हो
9. महंगाई की दर से छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी
10. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन और उसमें आरक्षण
11. महिला सशक्तिकरण
12. रेहड़ी-पटरी वालों को स्थाई जगह एवं लाइसेंस दिया जाए।

साथियो,

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ दलित नेतृत्व बचाने की चिंता से ज्यादा अधिकार बचाने के लिए लड़ता रहा है। मात्र यही संगठन है जो 1997 से मूल रूप से आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ता आ रहा है। ज्यादातर अन्य संगठन अपनी जाति के नेता को बचाना ही मिशन समझते हैं और जमीनी लड़ाई लड़ने के बजाय बंद कमरों और हॉल में मिशन की बात करते रहते हैं। 20 वर्ष से अधिक समय से परिसंघ अधिकार बचाने की प्राथमिकता के साथ अकेले पूरी सत्ता को झुका न सका क्योंकि दूसरे साथ नहीं दिए। भले ही हमारी बात को कुछ लोग आज भी न समझें लेकिन आने वाले दिनों में जरूर याद करेंगे। कितनी बड़ी त्रासदी है कि बहुजन समाज में जितनी तेजी से जागृति हुई और उसी अनुपात में सरकारी नौकरियां और शिक्षा की भागीदारी घटी। लोग भावुक होकर अधिकार बचाने से ज्यादा नेता बचाने में लगे रह गए। सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और शिक्षा का भी निजीकरण हो चुका है। हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज, सैकड़ों मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय भी निजी क्षेत्र में खड़े हो गए हैं और ऐसे में अच्छी और महँगी शिक्षा से बहुजन समाज वंचित हो गया।

सन 1993 में उच्च न्यापालिका में जजों की नियुक्ति में राजनैतिक नियुक्ति की भागीदारी खत्म की जाती है, उस समय अगर बहुजन नेता सड़क से संसद तक संघर्ष करते तो संसद से मिले अधिकार न तो न्यापालिका छीन पाती और न ही दलितों व अल्पसंख्यकों को जेल भेजने का आरक्षण विरोधी फैसले देती। ऐसा आखिर में होता ही क्यों? समाज के चंद लोग निजी फायदे के लिए विधायक, सांसद और सत्ता की लालच में लगे थे और आम जनता भावना में अपनी-अपनी जाति के नेता को ही मजबूत करने में लगी रही। 3 दिसम्बर, 2018 (सोमवार) को रामलीला मैदान, नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट घेरने के लिए अगर लाखों लोग मार्च नहीं करते, तो भले ही संसद और विधानसभा से कानून बनवा लें लेकिन न्यायपालिका रुकावट डालती ही रहेगी। दूसरे देशों में जब जज पक्षपाती हुए तो लोगों ने आन्दोलन किया और अमेरिका में अश्वेतों ने हर स्तर पर इतना विरोध किया कि गोरे जज डरने लगे और न्याय करने में भेदभाव करना बंद कर दिया। जब तक न्यायपालिका में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण नहीं होता, तब तक न्याय की आशा करना नादानी होगी। जज सबकी योग्यता की जाँच करते हैं, जो स्वयं भाई-भतीजे और जाति के आधार पर नियुक्त होते रहते हैं। जब किसी वकील का नाम जज के लिए अग्रसारित किया जाता है तो क्या उनकी कोई लिखित परीक्षा होती है या साक्षात्कार अथवा उनके द्वारा निबटाए गए मुकदमों की फाइलों की जाँच पड़ताल को आधार बनाया जाता है? जो मेरिट के आधार पर खुद ही न नियुक्त हुआ हो, वह दूसरों की मेरिट कैसे तय कर सकता है ? जिस तरह से सिविल सेवा में भर्ती होती उसी तरीके से आल इंडिया ज्युडिशियल सर्विस को तुरंत लागू किया जाए और न्यायपालिका में आरक्षण हो।

सत्ता की चाबी लेने के लिए संघर्ष जरूर हो लेकिन यह भी न किया जाए कि सत्ता के इंतजार में हम सबकुछ खो दें। जाति व्यवस्था में जब तक निजी स्वार्थ न हो तब तक अपने से नीचे वाली जाति का नेतृत्व मानने वाला कोई नहीं है। दलित और आदिवासी नीचे के पायदान पर हैं, इसलिए इनके ऊपर वाले तीनों वर्ग स्वाभाविक रूप से इन्हें नेता नहीं मानेंगे। यदि पिछड़ों में फुले, शाहू एवं पेरियार के विचारों को पैदा किया जाए तो बहुजन समाज एक हो सकता है और तब ही सत्ता की कुंजी संभव है। जाति व्यवस्था को इन दोनों को स्वाभाविक रूप से सवर्ण और वैश्य स्वीकार नहीं करेंगे। सवर्ण ही एक ऐसा वर्ग है जिसको नीचे के तीनो वर्ग अपना नेता आसानी से मानते हैं और इसीलिए सत्ता उन्हीं के हाथ में है। सत्ता की लड़ाई चालू रहे और दूसरी तरफ जन-आन्दोलन तेज किया जाना चाहिए। 2 अप्रैल, 2018 को अगर भारत बंद न हुआ होता तो मुमकिन है कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून न बहाल हुआ होता और न ही 5 मार्च, 2018 को यूजीसी द्वारा जारी विश्विद्यालय में शिक्षक भर्ती में कुठाराघात को रोका जा सकता था। खासतौर पर दलित आदिवासी को भूल जाना चाहिए कि उनके विधायक सांसद और मंत्री कुछ कर सकते हैं? मूल कारण यह है कि समाज पार्टियों को वोट देता है, न कि संघर्ष करने वालों को और चुनाव हो जाने पर दलित नेता याद आते हैं। चाहे जितना ही संघर्ष करने वाला दलित, आदिवासी नेता होगा अगर निर्दलीय चुनाव लड़े तो उनको कोई भी वोट नहीं देता। जाट भाई ने आन्दोलन किया उनको आरक्षण मिला, पटेलों ने भी इसी रास्ते से अपनी बात मनवाई और किसान जब मुंबई की सड़कों पर लाखों की संख्या में उतरे तो कर्ज माफ हुआ।

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, ने जितनी आवाज संसद में उठाई क्या किसी ने किया? निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए निजी बिल संसद में पेश किया। 2 अप्रैल, 2018 को भारत बंद का खुलकर समर्थन ही नहीं किया बल्कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पार्टी को भी नहीं बक्शा। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर की रिहाई के लिए संसद में जोरदार आवाज उठाई। जिस तरह से 2 अप्रैल, 2018 को भारत बंद हुआ उसी तरह से लाखों लोग 3 दिसम्बर, 2018 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में पहुँचकर ताकत का प्रदर्शन करें। मात्र यही एक रास्ता रह गया है। यह डॉ. उदित राज एवं परिसंघ की ही नहीं, बल्कि समस्त दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों की भी लड़ाई है।

निवेदक : देवी सिंह राणा, ओम प्रकाश सिंघमार, परमेन्द्र, गिरीश चन्द्रा पाथरे, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज, राजन हिजम, आदित्य कुमार नवीन (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले, (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता, विश्वनाथ, सत्यावान भाटिया, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह घारू (पंजाब), मनीराम बडगुर्जर, विश्राम मीना, मुकेश मीना (राजस्थान), बाबू सिंह, विजय राज अहिरवार (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, विपिन टोपो (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. करुपइया, पी. एन. पेरुमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तेलंगाना), पालटेटी पेन्टा राव (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ. ग.), पी. बाला, सदन नसकर, सुब्रता बातूल (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विल्फ्रिड केरकेट्टा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा, बी.एल. भारद्वाज (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान, शिव पूजन (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, आर. राजा सेगरन, थिपेस, पी. शंकर दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल, (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर, जय करण (असम), सी.बी. सुब्बा (सिक्किम), प्रकाश चन्द्र बिश्वास (त्रिपुरा)

आगामी रैली से संबधित पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

दिल्ली चलो! दिल्ली चलो!! दिल्ली चलो!!!

All India Confederation of SC/ST Organizations

"अब न सहेगें अत्याचार – लेकर रहेगें सब अधिकार"

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

के तत्वावधान में

SC/ST/OBC का आरक्षण बचाने, उच्च न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कराने और अत्याचार पर रोक के लिए

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

रैली

3 दिसंबर, 2018
सोमवार, सुबह 10 बजे

रामलीला मैदान, नई दिल्ली

भारी संख्या में भाग लेकर रैली को सफल बनाएं

AIParisangh AIParisangh 9899766443 All India Parisangh www.aiparisangh.com

निवेदक : देवी सिंह राणा, ओम प्रकाश सिंघमार, परमेन्द्र, गिरीश चन्द्रा पायरे, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज, राजन हिजम, आदित्य कुमार नवीन (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता, विश्वनाथ, सत्यावान भाटिया, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह धारु (पंजाब), मनीराम बडगुर्जर, विश्राम मीना, मुकेश मीना (राजस्थान), बाबू सिंह, विजय राज अहिरवार (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, विपिन टोपो (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. करुपइया, पी. एन. पेरुमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तेलंगाना), पालटेटी पेन्ना राव (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ.ग.), पी. बाला, सदन नसकर, सुब्रता बातूल (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विल्फ्रिड केरकेट्टा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा, बी.एल. भारद्वाज (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान, शिव पूजन (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, आर. राजा सेगरन, थिपेस, पी. शंकर दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर, जय करण (असम), सी.बी. सुब्बा (सिक्किम), प्रकाश चन्द्र बिश्वास (त्रिपुरा)

पत्राचार : टी-22 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23354841/42, मो. 9868978306, टेलीफैक्स : 011-23354843

'आदिवासी' नहीं, अनुसूचित जनजाति हैं हम

सूर्या बाली

जनजातियों के संबोधन के लिए बहुत सारे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मूलनिवासी, देशज, वनवासी, गिरिवासी, गिरिजन, जंगली, आदिम, आदिवासी इत्यादि। लेकिन, इन सबमें आदिवासी शब्द बहुत ही नकारात्मक और अपमानजनक है। सूर्या बाली 'सूरज' का विश्लेषण :

आधुनिक भारत में आदिवासी शब्द के मायने और निहितार्थ

मानव विकास के क्रम में हर जाति, संप्रदाय, धर्म, एथेनिक वर्ग के लोग किसी न किसी कबीलाई समूह से ही विकसित हुए हैं। यानी सभी जाति, धर्म के लोग आदिवासी जीवन के कार्यकाल से गुजरे हैं। इतिहास साक्षी है कि सबसे पहले आदिवासी से सभ्य नागरिक बनने के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता (हड़प्पा और मोहनजोदड़ो) से मिले हैं और यह भी सिद्ध हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता यहां के मूल निवासियों और जनजातियों की एक विकसित शहरी सभ्यता थी।

आज के तथाकथित सभ्य समाज में जनजातियों को एक अलग नस्ल के रूप में देखा जाता है, जबकि यह दृष्टिकोण सही नहीं है। भले ही इन जनजातियों ने विकास की पहली किरण सबसे पहले देखी। दुनिया को विकसित सभ्यताएं दीं। हजारों वर्षों तक मध्य भारत में सत्ता संभाली। भाषा-संस्कृति के मामले में भी बहुत आगे रहीं। लेकिन, आज भी भारत की जनजातियों (ट्राइब्स) को आदिवासी कहा जाता है। -(कातुलकर 2018)। आज इन जनजातियों (ट्राइब्स) को जिस तरह आदिवासी कहकर अपमानित किया जाता है, वह बहुत ही चिंतनीय विषय है। भारत का संविधान भी आदिवासी या आदिम जाति शब्द का प्रयोग न करके अनुसूचित जनजाति या 'शेड्यूल्ड ट्राइब्स' शब्द का प्रयोग करता है। जनजातियों के लिए चाहे जिस भी नाम का प्रयोग किया जाए, पर यह सच है कि ब्रिटिश-काल तक इनकी हालत बहुत दयनीय हो चुकी थी और इनके गौरव और सम्मान पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। -(कातुलकर, 2018) भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची में 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता दी है और अनुसूचित जातियों के साथ ही इन्हें एक ही श्रेणी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा है, जो कुछ सकारात्मक कार्यवाही के उपायों के लिए पात्र हैं। - (मीनाराम लखन, 2010)

हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जनजातियों का है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) के मुताबिक, जनजातियों की संख्या, 1961 की जनगणना के अनुसार, 3 करोड़ थी। जो अब बढ़कर 10.5 करोड़ (2011 में हुई जनगणना के अनुसार) हो चुकी है। यानी आज भारत की आबादी के 8.5 प्रतिशत से ज्यादा लोग जनजातीय समुदाय से हैं। -(चन्द्रमौली, 2013) जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्टूबर 1999 में भारतीय समाज के सबसे वंचित वर्ग अनुसूचित जनजाति (अजजा) के एकीकृत, सामाजिक-आर्थिक विकास के समन्वित और योजनाबद्ध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था। -(जनजातीय कार्य मंत्रालय, 2018) धरती पर सबसे पहले सभ्य होने वाली यही जन-जातियां ही थीं। लेकिन, विडंबना देखिए कि उनके बाद सभ्यता का मुंह देखने वाली जातियां आज उन्हें आदिवासी कहने लगी हैं और अपने आपको सभ्य समाज का लंबरदार समझने लगी हैं। बात केवल यहीं तक सीमित होती, तब भी गनीमत थी। लेकिन, अब खुद ट्राइब्स भी अपने आपको आदिवासी समझते हैं और गर्व से खुद को आदिवासी कहलवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

वह समाज, जो कभी अपने को गर्व से कोया वंशी या कोयतोड़ या कोइतूर (धरती की कोख से पैदा होने वाला) कहता था। आज दूसरी संस्कृतियों से प्रभावित होकर अपनी पहचान खो चुका है और दूसरों द्वारा थोपे गए अपमानजनक संबोधन को ढो रहा है। -(कंगाली, 2011) अब जब गुलाम ही अपने आपको गुलाम समझे और गुलामी में ही आनंद की अनुभूति करे, तो उसको गुलामी से मुक्ति दिला पाना संभव नहीं और आज कमोबेश कुछ ऐसा ही भारत की जनजातियों के साथ हो रहा है। वैसे तो जनजातियों के संबोधन के लिए बहुत सारे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे- मूलनिवासी, देशज, बनवासी, गिरिवासी, गिरिजन, जंगली, आदिम, आदिवासी इत्यादि। लेकिन, इन सबमें आदिवासी शब्द बहुत ही नकारात्मक और अपमानजनक है और इस लेख में इसी शब्द की व्याख्या और भावार्थ पर चर्चा की गई है।

सामान्यतः आदिवासी शब्द 'प्राचीन-काल से निवास करने वाली जातियों' के लिए प्रयोग किया जाता है। आदिवासी शब्द आदि और वासी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ अनादि-काल से किसी भौगोलिक स्थान में वास करने वाला व्यक्ति या समूदाय होता है। - (खर्टे, 2018) भारतीय पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में इन्हें अत्विका और वनवासी भी कहा गया है। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन (पहाड़ पर रहने वाले लोग) कहकर पुकारा है। -(मीना, और मीना 2018) आदिवासी शब्द किसी भी जनजातीय भाषा में नहीं पाया जाता और न ही कभी प्राचीन-काल में प्रयोग हुआ है। किसी भी प्राचीन ग्रंथ- वेद, पुराण, संहिता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कुरआन, बाइबल आदि में कहीं भी आदिवासी शब्द नहीं मिलता। इस शब्द का प्रचलन 20वीं शताब्दी के आरंभ में मिलता है और हिंदी और संस्कृत में सामान रूप से प्रयोग होता है। फैलन के शब्दकोष में न होने से यह माना जा सकता है कि उस वक्त (1879 में) यह शब्द आम प्रचालन में नहीं आया था। 1936 के आते-आते इस शब्द ने हिंदी चेतना में एक अलग जगह बना ली होगी। तभी रसाल ने इसे अपने शब्दकोष में जगह दी होगी। मालूम होता है कि यह शब्द अंग्रेजी शब्द एबोरिजिनल का अनुवाद करके बनाया हुआ शब्द है। पिछले कुछ दशकों में इस शब्द को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया के आ जाने से तो इस शब्द का प्रचार-प्रसार कुछ ज्यादा ही होने लगा है। आदिवासी शब्द न तो संवैधानिक है, न आधिकारिक और न ही सम्मानजनक है। भारतीय संविधान के मुताबिक, इस शब्द का इस्तेमाल किसी भी सरकारी दस्तावेज में नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रादेशिक सरकारें और संगठन जान-बूझकर इस शब्द को बढ़ावा दे रहे हैं और एक बड़ी जनसंख्या को गुमराह कर रहे हैं। अगर आदिवासी शब्द के शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे, तो आपको कुछ भी गलत नहीं लगेगा। लेकिन, जैसे ही आप इस शब्द के भावार्थ और इससे जुड़ी हुई व्याख्याओं को देखेंगे, तब आप पाएंगे कि यह शब्द अपने साथ बहुत ही विकृत मानसिकता और घृणा का भाव लिए हुए है। जब कोई किसी को आदिवासी बोलता है, तो उसके दिमाग में एक बर्बर, असभ्य, नंग-धड़ंग, जंगली, अनपढ़-गंवार, काले-कलूटे व्यक्ति की छवि उभरती है। आदिवासी शब्द से नहीं उसके साथ उभरने वाली इस विकृत छवि से पीड़ा होती है। दुख होता है और असह्य वेदना का बोध होता है। और यह महसूस होता है कि क्या जनजातियों के लोग किसी अन्य ग्रह से आए हुए कोई असामान्य प्राणी हैं और क्या इन्हें सामान्य इंसान की तरह से सम्मान और इज्जत नहीं मिल सकती? आज हम आदिवासी का प्रतिबिंबित दृश्य चोर, लुटेरा, गंवार, अनपढ़, अर्धनग्न मनुष्य की तरह लेते हैं। क्योंकि टेलीविजन, मीडिया चौनलों, साहित्यों और फिल्मों में हमें ऐसे ही जान-बूझकर दर्शाया जाता है। - (खर्टे, 2018)। आज भी उत्तर और मध्य भारत में आदिवासी शब्द गाली के रूप में प्रयोग होता है। आदिवासी शब्द को लेकर साहित्यकारों, इतिहासकारों और यहां तक कि सामान्य नागरिकों ने भी जिस तरह का चित्र उकेरा है, वह बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक है तथा खूबसूरत जनजातियों की गौरवशाली सभ्यता पर काला धब्बा है। दुःख तो इस बात का है कि खुद जनजातीय या ट्राइब्स लोग भी इस शब्द से चिपके रहना चाहते हैं। वह भी यह जानते हुए कि यह शब्द अपमानजनक या नकारात्मक भाव लिए हुए है। अब प्रश्न उठता है कि अगर यह शब्द इतना घृणित, अपमानजनक और नकारात्मक है, तो फिर लोग इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यह जानते हुए भी कि आदिवासी शब्द प्रयोग करना उचित नहीं है। फिर भी लोग इस शब्द को क्यों नहीं छोड़ पाते? एक सामान्य अध्ययन के दौरान मैंने इस शब्द को त्याग न कर पाने के कारणों को जब जानना चाहा, तो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली जानकारी सामने आई। फेसबुक, व्हाट्सअप, ऑनलाइन वेबसाइट और सोसायटीज एक्ट के तहत पंजीकृत संगठनों, जिनमें आदिवासी शब्द जुड़ा हुआ हैय ऐसे कुल 156 संगठनों से संपर्क किया गया और पूछा गया कि क्या आप आदिवासी शब्द के नकारात्मक भाव से परिचित हैं, तो 80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने 'हां' कहा। उनका कहना था कि यह शब्द गलत है और हमें नीचा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब उनसे आगे पूछा गया कि आप इस शब्द को हटा क्यों नहीं देते? तो लोगों ने ऐसे कारण बताए, जो बहुत ही बचकाने और हास्यास्पद हैं। आदिवासी शब्द को न छोड़ पाने के कारण, जो लोगों और संगठनों ने दिए, वो इस प्रकार हैं। जब संस्था, संगठन और ग्रुप के नाम रखे थे, तब आदिवासी शब्द की जानकारी नहीं थी। चूंकि अब संगठन/संस्था/ग्रुप इस नाम से प्रसिध्द हो गया है, तो अब उसे कैसे बदलें? नाम बदलना तो चाहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पचड़े में पड़ने के डर से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी एक पहचान बन गयी है आदिवासी शब्द से, और अब उससे निकलना मुश्किल हो रहा है। जनजातियां कई जातियों, जैसे- भील, गोंड, उरांव, मुंडा, संथाल, कोरकू, सहरिया, मीना इत्यादि में बंटी हुई हैं। इन्हें एक साथ लाने लिए यह शब्द ठीक है। बाबा-दादा के जमाने से सुनते आए हैं, तो लगता है कि सही ही होगा। कभी किसी ने बताया नहीं कि आदिवासी शब्द इतना खराब है। सब लोग कहते हैं, तो हम भी मान लेते हैं कि हम आदिवासी हैं और कोई बात नहीं यह शब्द जरा आसान है और बोलने में कोई परेशानी नहीं होती। जनजाति या देशज या ट्राइब बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है और कुछ खास नहीं।

राजनीतिक दलों और संगठनों की परेशानी कुछ अलग ही तरह की है। उन्हें बस भीड़ चाहिए। उन्हें जनजातियों के सम्मान और अस्मिता से कुछ लेना-देना नहीं। वे पूरे जनजातीय समुदाय को बस एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं। आदिवासी के नाम पर ही उन्होंने अब तक जनजातियों को इकट्ठा किया हुआ है और बड़े-बड़े सपने दिखा रखे हैं। राजनीतिक दलों और व्यक्तियों का मानना है कि आदिवासी शब्द सभी को एक साथ जोड़ता है। अगर ऐसा है, तो क्या जनजाति या ट्राइब्स शब्द इन सबको अलग करते हैं? जब उनसे पूछ जाता है कि जनजातियों को ट्राइबल या शेड्यूल कास्ट या जनजाति के रूप में भी तो इकट्ठा किया जा सकता है, तो वे बगलें झांकने लगते हैं और बेबुनियाद बहाने बनाने लगते हैं। क्या जनजातियों को लेकर इस देश के किसी वर्ग विशेष को कोई दुर्भावना या कोई परेशानी है? जनजातीय लोगों को ये तथाकथित सभ्य समाज सम्मान क्यों नहीं देना चाहता? उन्हें आज भी बर्बर, अनपढ़, गंवार, कुरूप, जंगली बनाने पर क्यों तुला हुआ है? ऐसा करने पर उन्हें क्या हासिल हो सकता है? यह प्रश्न समाज के सामने बार-बार उठेंगे और तब तक उठते रहेंगे, जब तक हम उन्हें समाज में सम्मान और बराबरी की नजर से नहीं देखेंगे। आइए, अब इस बात को एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आप खदानों से अयस्क को निकालते हैं, फिर उसको संशोधित करते हैं फिर लोहा बनता है और फिर पुनः संशोधित करके स्टील बनाते हैं और फिर उससे स्टील से पाइप या उससे निर्मित अन्य वस्तुएं बनाते हैं। क्या कभी उस स्टील की वस्तु को अयस्क या लोहे की बनी हुई चीज कहते हैं? नहीं आप उसे स्टील ही कहते हैं। लेकिन, आज जनजातीय व्यक्ति चाहे कितना भी शिक्षित, सुसंस्कृत, खूबसूरत या अच्छे कपड़े पहने हो, उसे आज भी यह लोग आदिवासी ही कहते हैं।

https://www.forwardpress.in/2018/10/we-are-scheduled-tribes-not-adivasis-hindi/

Major Achievements

1. Saved reservation by introducing 3 constitutional amendments
2. Achieved reservation in Lokpaal,
3. Lakhs of people adopted Buddhism on 4th November, 2001
4. Reservations in promotion has been restored,
5. Raised highest number of Dalit issues in the parliament,
6. Support for reservation to backwards in higher education,
7. In the Bharat Bandh on April 2,2018 many innocent people were booked in false lawsuit, for which the Confederation communicated with the District Magistrate and Superintendent of the District to release thousands of people from jail,
8. Big contribution in the release of Chandrashekhar, Bhim Army Chief

Major Issues

1. Protection of reservation for Dalits, Backwards and Minorities,
2. Implementation of reservation in Judiciary and Private Sector,
3. Formation of Law for Reservation,
4. End of contract system in cleaning works,
5. Special recruitment drive to fill the backlog and empty positions,
6. Equal education policy should be implemented in the country and land be given to the landless,
7. Make Scheduled Castes and Scheduled Tribes Planning Policies,
8. Caste certificate of one state should be valid in other states as well,
9. Increment in Scholarship should be at par with the Inflation rate,
10. Constitution of National Judicial Appointment Commission with reservation,
11. Women Empowerment,
12. Issue of proper license and allotment of proper space to the Rehari and Patri vendors.

Dear Friends,

All India Confederation of SC/ST Organization is concerned about protecting the rights of underprivileged rather than promoting the interest of an individual . Since 1997, we have been demanding reservation whereas many other organizations have been focusing on caste related issues for their selfish agenda. Many such organizations are engaged in table talks and indoor discussion and on the contrary All India Confederation has been spearheading the struggle for preventing the erosion of reservation in Government jobs and educational institutions. People have misjudged us, but history will absolve us of any false allegations. What can be more ironical than the fact that when consciousness in Bahujan society rose the safeguards for SC/ST community were diluted. Our people are emotionally obsessed to leadership of an individual, but they didn't have the realisation that it would come at the cost of irreversible erosion in government jobs and education. Thousands of engineering colleges, medical colleges and universities opened up in the private sector but lacked inclusiveness and were unaffordable.

In 1993, the Supreme Court by it's own judgement usurped the power to appoint the judges, and leaders of Bahujan Samaj witnessed from the sidelines and failed to rise to the occasion. Had they opposed the extra constitutional act of Supreme Court then we would not have witnessed the judicial overreach wherein rights given by Parliament are being diluted by the courts. The people's representatives were selfish and will remain so and common people keep supporting leaders of their caste without any gain. On 3rd December, 2018 if lakhs of people don't assemble at Ramlila Ground, New Delhi to gheraav Supreme Court, remember that laws made in favour of SC/ST/OBC would keep getting blocked by the judicial activism. In other societies people oppose unjust judgement of courts and in USA, blacks fought tooth and nail against white judges and as a result that stopped partial judgement. So long as reservation is not secured in higher judiciary, there is no hope for justice for SC/ST and OBCs. Judges are judging the merits of all others, whereas they are appointed without the basis of merit. The chief justice of high court recommends any lawyer to become judge, does he appear in exam or interview is conducted or are his prior cases scrutinised? The whole higher judiciary has become mockery and appointments are done on the consideration of nepotism, castes or payback to those who oblige to make judges. Thus it is clear that, the judges are not appointed on basis of marriage, then how can they determine other's merit? Only way to correct this appointment procedure is to recruit them either through All India Judicial Services or through National Judicial Appointment Commission, which was thwarted by the same judiciary.

There is a misnomer that political power is sufficient to effect change. In the caste hierarchy the SCs/STs are at the bottom and the other three strata of the caste will not support SC/ST based leaders or parties in getting elected. The ideology and programs are secondary and what is primary is caste superiority and strong bias against the lower castes. Coming to the next higher strata, that is the OBCs, the mindset persists to be Brahminical and majority continue to feel superior. Dalit, OBC and Minorities form 85% of population but lack of consciousness and awareness is keeping them divided. Only the so called upper caste enjoy easy and natural support in getting elected and are therefore successful and powerful. The fight to capture political power should go on but on the other hand struggle should be strengthened to protect the rights. On 2nd April, 2018, if Dalits would have not succeeded in Bharat Bandh then it would not have been possible to restore the SC/ST Act and withdraw the 5th March, 2018 circular of UGC which diluted reservation in Universities. Dalits and Tribals should forget that their representatives' like MPs and MLAs will fight for them. The reason is that political parties get them elected and hence they are bound to obey the leadership. Bahujans should introspect that when it comes to electing their representative, they vote for parties even if Chamcha/ corrupt or uneducated are fielded and those who are sincere and have struggled are ignored. Mind it, those who are fighting on streets are the ones getting their demands fulfilled, for example, Jaats in Haryana, Patels in Gujarat and Farmers in Mumbai.

Has any leader other than Dr. Udit Raj, National President, All India Confederation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Organizations, raised as many Dalit issues in the Parliament? He presented the private member bill for reservation in private sector. He not only supported the Bharat Bandh movement of 2nd April, 2018 but did spare his own party when needed. He aggressively appealed in Parliament for the release of Mr. Chandrashekhar, the Chief of Bhim Army. People should turn up in large numbers on 3rd December 2018 at ramlila maidan in a solid show of strength , the same way as they did on April 2, 2018. Now there is no other way. This is not a personal struggle of Dr. Udit Raj or the Confederation, but of the entire Dalits, Tribals, Backwards and Minorities.

By: Devi Singh Rana, Om Prakash Singhamar, Parmendra, Girish Chandra Pathre, Satya Narayan, Savita Kadian Panwar, Sanjay Raj, Rajan Hisam, Aditya Kumar Navin (Delhi), Sushil Kamal, Neeraj Chak, Raj Kumar (UP) , Siddharth Bhojne, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble, (Maharashtra), S.P. Jaravata, Vishwanath, Satwan Bhatia, Mahasinh Bhurania (Haryana), Tarasam Singh Gharu (Punjab), Maniram Badgujar, Vishram Meena, Mukesh Meena (Rajasthan), Babu Singh, Vijay Raj Ahirwar (Uttarakhand), Article Malik, DK Behera (Orissa), Paramahansa Prasad, Narendra Chaudhary, Vipin Toppo (M.P.), Ramubhai Vaghela, Utpal Kulkarni (Gujarat), S. Karpaiya, P. N. Perumal (Tamil Nadu), Raman Bala Krishnan (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathore (Telangana), Palitati Panta Rao (Andhra Pradesh), Harsh Meshram, Pradeep Sukhdev (Ch.), P. Baala, Sadan Nasar, Subrata Batul (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Wilfrid Karketta (Jharkhand), R K Kalsotra, B.L. Bharadwaj (J&K), Madan Ram, Shivdar Paswan, Shiv Pujan (Bihar), J. Srinivasulu, R. Raja Segaran, Thipes, P. Shankar Das (Karnataka), Sitaram Bansal, (H.P.), Pradeep Baspor, Jai Karan (Assam), C.B. Subba (Sikkim), Prakash Chandra Biswas (Tripura)

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 21 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 October, 2018

March Delhi ! March Delhi !! March Delhi !!!

All India Confederation of SC/ST Organizations

ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST ORGANIZATIONS

Calls

Saving Reservation for SC/ST/OBCs, Reservation in Judiciary & Private Sector and To Stop Atrocities

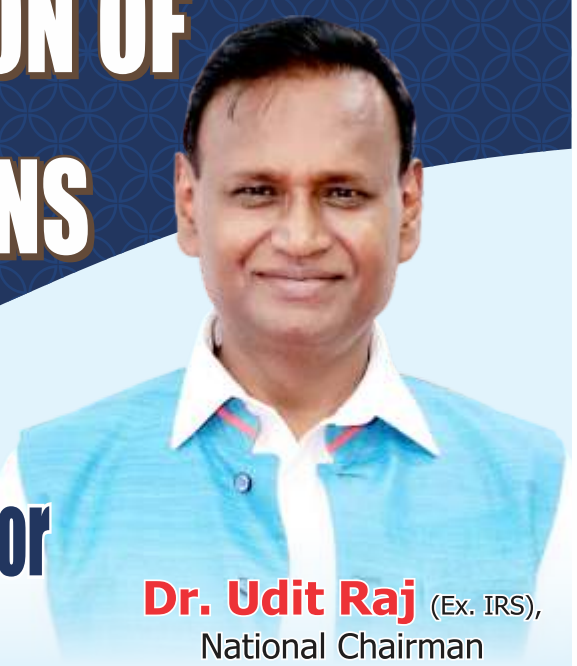

Dr. Udit Raj (Ex. IRS),
National Chairman

RALLY

03rd December, 2018

Monday, at 10 AM

Ramlila Ground, New Delhi

Join in large number to make the Rally successful

By: Devi Singh Rana, Om Prakash Singhmar, Parmendra, Girish Chandra Pathre, Satya Narayan, Savita Kadiyan Panwar, Sanjay Raj, Rajen Hijam, Samuel Massey, Aditya Kumar Naveen (Delhi), Sushil Kamal, Neeraj Chak, Raj Kumar (UP), Siddharth Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble (Maharashtra), S.P. Jarawata, Vishwanath, Satyawan Bhatia, Mahasingh Bhurania, (Haryana), Tarshem Singh Gharu, Rohit Sonkar (Punjab), Maniram Badgurjar, Pancham Ram, Vishram Meena, M. L. Rasu, Mukesh Meena (Rajasthan), Babu Singh, Vijay Raj Ahirwar (Uttarakhand), Alekh Malik, D.K Behera (Orissa), Paramhans Prasad, Vipin Toppo, Narendra Chaudhary (M.P.), Ramubhai Vaghela, Utpal Kulkarni (Gujarat), S. Karuppaiah, P. N. Perumal (Tamil Nadu), Raman Bala Krishnan (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathore (Telangana), Palteti Penta Rao (Andhra Pradesh), Harsh Meshram, Pradeep Sukhdeve (Ch.), P. Bala, Sadan Naskar, Subrata Batul (West Bengal) Madhusudan Kumar, Welfrid Kerketta (Jharkhand), R.K. Kalsotra, B.L. Bhardwaj (J&K), Madan Ram, Sheodhar Paswan, Shiv Pujan (Bihar), J. Srinivasulu, R. Raja Segaran, Thippesh, P.Sankara Doss (Karnataka), Sitaram Bansal (H.P.), Pradeep Basfore, Jai Karan (Assam) , C.B. Subba (Sikkim) , Prakash Chandra Biswas (Tripura)

Corres.: T-22 Atul Grove Road, Connaught Place. New Delhi -110001 Ph.No. 011-23354841/42, Mob.: 9868978306, Fax : 011-23354843

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar